प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी-परिपत्र संख्या-28/2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर-2,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांकः लखनऊः जून 28 ,2024

विषयः क्रिमिनल अपील संख्या-2349/2024 अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 में अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराये जाने विषयक आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया सचिव, गृह(पुलिस) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः187रिट/छः-पु0-3-2024 दिनांक 05.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-2349/2024 अमानतुल्लाह खान बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.05.2024 के अनुपालन विषयक है।

संदर्भित प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिल्ली पुलिस द्वारा एक अवयस्क स्कूली छात्र तथा अपीलकर्ता की पत्नी का नाम बिना किसी विपरीत सामग्री के हिस्ट्रीशीट में शामिल करने को लेकर प्रस्तुत किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिस्ट्रीशीट तैयार किये जाने सम्बन्धित दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्टैण्डिग आर्डर दिनांकित 06.10.2022 के अनुसार की गयी इस कार्यवाही को अनुचित पाया तथा हिस्ट्रीशीट में अवयस्क स्कूली छात्र का नाम व पहचान उजागर करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।

यद्यपि यह प्रकरण दिल्ली पुलिस से सम्बन्धित था किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी स्वतः संज्ञान लेने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशो को हिस्ट्रीशीट तैयार करने के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने हेतु हिस्ट्रीशीट का समय-समय पर परीक्षण करने के सम्बन्ध में निर्देशित अंश निम्नवत हैः-

> 14. Having partially addressed the grievance of the appellant, we now, in exercise of our suo motu powers, propose to expand the scope of these proceedings so that the police authorities in other States and Union Territories may also consider the desirability of ensuring that no mechanical entries in History Sheet are made of innocent individuals, simply because they happen to hail from the socially, economically and educationally disadvantaged backgrounds, along with those belonging to Backward Communities, Scheduled Castes & Scheduled Tribes. While we are not sure about the degree of their authenticity, but there are some studies available in the public domain that reveal a pattern of an unfair, prejudicial and atrocious mindset. It is alleged that the Police Diaries are maintained selectively of individuals belonging to Vimukta Jatis, based solely on caste-bias, a somewhat similar manner as happened in colonial times. All the State Governments are therefore expected to take necessary preventive measures to safeguard such communities from being subjected to inexcusable targeting or prejudicial treatment. We must bear in mind that these pre-conceived notions often render them 'invisible victims' due to prevailing stereotypes associated with their communities, which may often impede their right to live a life with self-respect.
>
> 15. The value for human dignity and life is deeply embedded in Article 21 of our Constitution. The expression 'life' unequivocally includes the right to live a life worthy of human honour and all that goes along with it. Self-regard, social image and an honest

space for oneself in one's surrounding society, are just as significant to a dignified life as are adequate food, clothing and shelter.

16. It seems that a periodic audit mechanism overseen by a senior police officer, as directed for the NCT of Delhi, will serve as a critical tool to review and scrutinize the entries made, so as to ascertain that these are devoid of any biases or discriminatory practices. Through the effective implementation of audits, we can secure the elimination of such deprecated practices and kindle the legitimate hope that the right to live with human dignity, as guaranteed under Article 21, is well protected.

मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने उपरोक्त आदेश में मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि का नाम हिस्ट्रीशीट में शामिल करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने तथा सम्पूर्ण कार्यवाही की समीक्षा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सुझावात्मक टिप्पणी की गयी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-142 के अनुसार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी सुझावात्मक टिप्पणियां भी विधि का प्रभाव रखती है और उनका अनुपालन आज्ञापक है।

मुख्यालय स्तर से पूर्व में हिस्ट्रीशीट खोले जाने के सम्बन्ध में पार्श्वांकित परिपत्र आप सभी के अनुपालनार्थ निर्गत किये गये है। जिसमें अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये है। विशेष रूप से अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोले जाने/निगरानी के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के अध्याय 20 के पैरा 228 से लेकर पैरा 276 के अन्तर्गत अभ्यासिक एवं पेशेवर अपराधियों की वर्ग 'क' एवं वर्ग 'ख' की हिस्ट्रीशीट खोले जाने के प्राविधान निहित है। मुख्यालय स्तर से पूर्व में इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुये अवगत कराया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्रीशीट नहीं खोली जायेगी। हिस्ट्रीशीट खोलने के लिये उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 228 से 276 तक का गहन अध्ययन करके उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाय।

1. डीजी परिपत्र सं0-37/2022 दिनांक 03.11.22
2. डीजी परिपत्र सं0-07/2019 दिनांक 25.01.19
3. अ0शा0 पत्र सं0:-डीजी-आठ-140(66)2017 दि0-03.11.17
4. अ0शा0 पत्र सं0:-डीजी-आठ-140(66)2014 दि0-16.08.14

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के उपरोक्त पैरा एवं मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों/परिपत्रों का पुनः गहनता से अध्ययन कर लें तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्तांकित आदेश दिनांकित 07.05.2024 के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर कार्यशाला का आयोजन कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को विस्तार से अवगत करा दें और यह भी सुनिश्चित करें कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

भवदीय

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज,
   उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/ईओडब्लू/यूपीपीसीएल/साइबर क्राइम, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था/अभियोजन/रेलवेज/एसीओ/एटीएस,उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, एएनटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।